DFA/1774974

कार्यालय महालेखाकार (ले व ह)-II, महाराष्ट्र
सिविल लाईन्स, नागपुर – ४४०००१

OFFICE OF
THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II
MAHARASHTRA
CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001

Ph: 0712-2565161-67 / Fax: 0712 – 2560484
Email: agaeMaharashtra2@cag.gov.in
Web: https://cag.gov.in/ae/nagpur/en

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या:-नि.वि.1/ई-5/वार्षिक संपत्ति विवरण/ दिनांक:-30/12/2025

परिपत्रक- 79

सभी वरिष्ठ विभागीय लेखा अधिकारी/विभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-I/विभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-II/विभागीय लेखापाल का ध्यान सीसीएस (कंडक्ट) रूल्स के नियम 18 के उपनियम (I) (ii) की ओर आकर्षित किया जाता है | जिसके अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' के अंतर्गत पदग्रहण करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उसकी अचल संपत्ति के बारे में वार्षिक विवरण, सरकार द्वारा पस्तावित विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा | जिसमे उसके द्वारा प्राप्त, स्वअर्जित, उपार्जित, लीज पर, तारणपर ली गयी, खुद के नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थित अचल संपत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्मिलित की गयी हो |

यह देखा गया है की कुछ अधिकारीयों द्वारा सम्पूर्ण संपत्ति के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है या विलम्ब से प्रस्तुत की जाती है अथवा दी गयी जानकारी अपूर्ण होती है| इसे सक्षम अधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया है एवं नाराजगी दर्शायी गयी है |

अत: सभी वरिष्ठ विभागीय लेखा अधिकारी/विभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-I/विभागीय लेखा अधिकारी श्रेणी-II/विभागीय लेखापाल को **ये निर्देश दिए जाते हैं की, इस परिपत्रक के साथ संलग्न विहित प्रपत्र के भाग 1 एवं भाग 2 में उनकी अचल संपत्ति दिनांक 31/12/2025 तक की स्थिति का सम्पूर्ण विवरण दिनांक 31/01/2026 को या उसके पूर्व इस कार्यालय में (विभाग द्वारा) प्रस्तुत करें एवं प्रस्तुत करने की तिथि वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में भाग-2 के कॉलम-4 में लिखें |**

प्रत्येक संपत्ति के बारे में इस कार्यालय के द्वारा प्राप्त अनुमति/अभिस्वीकृति विषय के जानकारी प्रपत्र के स्तम्भ 8 के अंतर्गत कोई जानकारी न हो तो **"कुछ नही" लिखा जाए | अपूर्ण जानकारी रहने पर विवरण स्वीकृत नहीं किये जायेंगे |**

यह ध्यान रहे की दिनांक 31/12/2025 की संपत्ति की स्थिति का विवरण उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 31/01/2026 को या उसके पूर्व इस कार्यालय में पहुचना अनिवार्य है | केवल पत्र द्वारा दी गयी जानकारी स्वीकृत नही की जाएगी | समय पर वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत न करने पर, गलत या अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने पर सीसीएस (कंडक्ट) रूल्स के नियम 18 के अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय 22 (2) के अनुसार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध गंभीरता पूर्वक अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकती है | वार्षिक संपत्ति विवरणी जमा न करने की स्थिति मे सतर्कता अनापत्ति नहीं दी जाएगी

संलग्न: प्रपत्र I व II

भूषण

वरिष्ठ उप महालेखाकार(निर्माण लेखा)

File No. WM-I/E-III/314 (Computer No. 255869)
Generated from eOffice by DIPIKA KUMARI, ACNT(WM-I)-DK, ACCOUNTANT, AG-(A&E-II)-MAHARASHTRA on 30/12/2025 10:04 am

फार्म– I

गोपनीय

दिनांक 01–01–20   को अचल संपत्ती का विवरणपत्र

अधिकारी का नाम (पूरा नाम) तथा सेवा का नाम :

वर्तमान पद :

वर्तमान वेतन :

उस जिल्हा, उपविभाग तालूका तथा गांव का नाम जहां संपत्ती स्थित है	नाम तथा संपत्ती की जानकारी		वर्तमान मूल्य (रू)*	यदि स्वयं के नाम न हो तो उस व्यक्ति का नाम तथा उससे सरकारी कर्मचारी का रिश्ता जिसके नाम यह है	किस तरह प्राप्त हुआ, खरीद बंधक संपत्ति @ उपहार स्वरूप या अन्यरूप से, तिथी तथा नाम के साथ विवरण जिससे प्राप्त हुआ	संपत्ति से होने वाली वार्षिक आय %	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य इमारत	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांकः

हस्ताक्षर

% जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाए।
* ऐसे मामले जहां यथार्थ मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है, उन मामलों में वर्तमान शर्ते के अनुसार अनुमानित मूल्य दर्शाए।
@ अल्प अवधी पट्टा **(Short term lease)** भी समाविष्ट लें।

टिप्पणी: नागरी सेवा आचरण नियमावली 1964 नियम 18 के अनुसार संवर्ग 'क' तथा 'ख' के प्रत्येक सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम सेवा में नियुक्ति होने पर तथा तदपश्चात हर प्रत्येक बारह माह के अंतराल से स्वंय द्वारा खरीदी, पुश्तैनी उपहार में प्राप्त तथा लीज और मॉटगेज में रखी हुई स्वंय के नाम से या परिवार के किसी अन्य सदस्यों के नाम इत्यादी का विवरण अचल संपत्ती के घोषित विवरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

<u>फार्म–II</u>

गोपनीय

दिनांक 01–01–20 के अनुसार अचल संपत्ती के व्यवहार को दिर्शाने वाला विवरणपत्र जो आश्रित के निधी किया गया है। जिसमें स्त्रीधन पुश्तैनी उपहार इत्यादि सम्मिलित है।

अधिकारी का नाम (पूरा नाम) तथा सेवा का नाम :

वर्तमान पद :

वर्तमान वेतन :

उस जिल्हा, उपविभाग तालूका तथा गांव का नाम जहां संपत्ती स्थित है	नाम तथा संपत्ती की जानकारी		वर्तमान मूल्य (रू)*	यदि स्वयं के नाम न हो तो उस व्यक्ति का नाम तथा उससे सरकारी कर्मचारी का रिश्ता जिसके नाम यह है	किस तरह प्राप्त हुआ, खरीद बंधक संपत्ति @ उपहार स्वरूप या अन्यरूप से, तिथी तथा नाम के साथ विवरण जिससे प्राप्त हुआ	संपत्ति से होने वाली वार्षिक आय %	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य इमारत	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक:

हस्ताक्षर

% जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाए।

* ऐसे मामले जहां यथार्थ मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है, उन मामलों में वर्तमान शर्तें के अनुसार अनुमानित मूल्य दर्शाए।

@ अल्प अवधी पट्टा **(Short term lease)** भी समाविष्ट लें।

<u>टिप्पणी:</u> नागरी सेवा आचरण नियमावली 1964 नियम 18 के अनुसार संवर्ग 'क' तथा 'ख' के प्रत्येक सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम सेवा में नियुक्ति होने पर तथा तद्पश्चात हर प्रत्येक बारह माह के अंतराल से स्वंय द्वारा खरीदी, पुश्तैनी उपहार में प्राप्त तथा लीज और मॉटगेज में रखी हुई स्वंय के नाम से या परिवार के किसी अन्य सदस्यों के नाम इत्यादी का विवरण अचल संपत्ती के घोषित विवरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।